

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2023/85990/ALB/ALLAHABAD/1746/CFO**दिनांक : **13-06-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **HARISH PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE** पता **SAIDUPUR, HANUMANGANJ, PRAYAGRAJ, -Prayagraj** तहसील - **Phulpur** प्लॉट एरिया **7000 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **827.2** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
HARISH PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE	3	0	11 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **HARISH PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-07-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PANKAJ KUMAR SINGH E-Mail ID : pankajkrsingh1992@gmail.com Mobile No. : 9455015015** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-07-2023** से **02-07-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **HARISH PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **HARISH PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1-आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उक्त भवन वर्ष 2020 के पहले का निर्मित है। सेटबैक के संबंध में सत्ताप्राधिकारी द्वारा निर्णय मान्य होगा/अतएव शासन के पत्र संख्या 187/छ:-पु-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07-01-2022 के आधार पर प्रमाण पत्र विद्यमान भवन के लिये निर्गत किया जा रहा है 2-भवन में ढाँचागत परिवर्तन / अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । 3.भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा । 4.प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरांत अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन यंत्रों का शोधन कराकर फायरऑडिट कराना अनिवार्य होगा ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Rajeev Kumar Pandey

8DA5490F8C1BC0F5B167752BB7A40B3F521C46EC

03-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **03-07-2023**स्थान : **ALLAHABAD**

Vandana Singh

Principal

Harish Public School & College
Saidupur, (Fatuhan) Hanumanganj
Prayagraj

Manager

Harish Public School & College
Saidupur (Fatuhan) Hanumanganj
Prayagraj